



JALAUN POLICE

"Operation Conviction"

दिनांक 05.08.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कुठौन्द पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त अजय उर्फ पिन्टू पुत्र बृजेश कुमार नि० ग्राम पीपरी गहरवार थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कुठौन्द पर मु०अ०सं० 253/21 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अजय उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री बृजराज सिंह राजपूत
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह
ADGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० सतेन्द्र सिंह
कोर्ट मुहरिर



का० आशीष
कोर्ट परोकार

jalaunpolice

